



प्रेषक,
सहायक निदेशक,
शहरी योजना
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,
श्री बिनोद यादव
पिता:-डी०.एन०. प्रसाद यादव
राजेन्द्र नगर, पटना-16

पटना, दिनांक...../2018 ई०

विषय:- प्लान केस सं०-P/Digha-PRN-B+G+5/420/2017 में लेबर-सेस की राशि जमा करने के संबंध में।

प्रसंग:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के कार्यालय के ज्ञापांकसं०-एल०ए०/एस०एस०-1/पी०आर/50, पटना
दिनांक-02.04.2018 के द्वारा वर्ष-2016-17 के अंकेक्षण के दौरान दल द्वारा उठाई गई आपत्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा समर्पित प्लॉन केस सं०- P/Digha-PRN-B+G+5/420/2017 में CPWD के Plinth area rate on 01-10-2012 Annexure-I के अनुसार लेबर सेस के मद में जमा की जाने वाली राशि रुपये 9,33,107/- देय है जो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग (नियोजन भवन), पटना तथा ज्ञापांक-937/न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक-11.04.2018 के आलोक में सेल्टर फण्ड की राशि 4,64,025/- रुपये मात्र है जो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य आवास बोर्ड स्थित बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा में जमा कर प्राप्ति रशीद शहरी योजना शाखा कार्यालय, पटना नगर निगम में कार्यालय कार्य अवधि में जमा करायें, ताकि आपके स्वीकृत नक्शे को निर्गत किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-

सहायक निदेशक,
शहरी योजना
पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक:-...../प०न०नि०. पटना, दिनांक-...../...../2018 ई०.

प्रतिलिपि:- उप निदेशक/निदेशक, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Rupis
30/07/18

सहायक निदेशक,
शहरी योजना
पटना नगर निगम, पटना।



प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना ।

सेवा में,

श्री विनोद यादव,
पिता- डी0 एन0 प्रसाद यादव,
रोड नं0-8, राजेन्द्र नगर,
पटना - 16

विषय :- प्लॉन केस सं0-P/Digha-PRN-B+G+5/420/2017 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P/Digha-PRN-B+G+5/420/2017 दिनांक 30.07.2018 के संदर्भ में श्री विनोद यादव, पिता- श्री डी0 एन0 प्रसाद यादव, रोड नं0-8, राजेन्द्र नगर, पटना-16 के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना / आयोजना प्राधिकार/ आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं0-3246, खाता संख्या-533, तौजी सं0-5130, मोहल्ला-दीघा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/ निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है ।

- (क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा ।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1301.47 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा ।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 09.20 मीटर से 09.60 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी ।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/ आयोजना प्राधिकारों / या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 0.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा ।

- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की दायत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/ हक/हित की दायत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी ।
- (ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है । भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/ विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे ।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा ।
- (ड) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा ।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय ।
- (ण) भवन उपविधि 2014 के कंडिका 32 के अनुसार ग्रीन एरिया का प्रावधान करना होगा ।

विश्वासभाजन,

6/8/18
उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना ।

E:\ General 4-08-2018

